राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई–/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2013)/2018/ दिनांक:–

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4294/2017 द्वारा श्रीमती रामेश्वरी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में प्रकरण को एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 151/2016 रमेश कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 578/2016 राजस्थान राज्य बनाम प्रदीप सिंह अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12970/2015 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 से कवर्ड करते हुए निर्णय दिनांक 20.04.2017 पारित किया है। प्रकरण राजस्थान राज्य व अन्य बनाम प्रदीप सिंह में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 के विरूद्ध स्थाई समिति द्वारा दिनांक 26.10.2016 को सर्वसम्मति से नो अपील का निर्णय लिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आलौच्य निर्णय दिनांक 20.04.2017 के विरूद्ध प्रशासनिक विभाग के स्तर पर अपील दायर नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अनुसरण में समिति निर्णय के अनुरूप याचिकाकर्ता के पूरक विषय के वास्तविक प्राप्तांको को जोडने पर औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.779 (51.779+15 बोनस) बनते है। याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थिया है। याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक अन्य पिछड़ा वर्ग की कटऑफ 62.999 से अधिक होने के कारण वरीयतानुसार इनका चयन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर किया जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार पदस्थापन किया जाता है:–

S. No.	Application No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Category	Applicable Avg 85%	Bonus Marks	Total Percentage	Place of Posting Under
1	6030005032	Rameshwari	Jetaram Bishnoi	14-06-1986	OBC (NC)	51.779	15	66.779	CMHO JALORE

उक्त चयनित अभ्यर्थिया को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:–एफ15(1)/एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 में वर्णितानुसार दो वर्ष के प्रोबेशन काल में राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-8 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 18500/– (अठ्ठारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित वेतन नियमानुसार देय होगा।

यह चयन एवं पदस्थापन आदेश निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी किया जा रहा है:–

1. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनांक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती–2013/2015/391 दिनांक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत् पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।

2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

4. उक्त वर्णित अभ्यर्थिया की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित की जानी है।

5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)

6. अभ्यर्थिया द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत अभ्यर्थिया को अपने अधीन पदभार ग्रहण किये जाने के आदेश जारी किये जावेगें। मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी द्वारा दूरदराज के क्षेत्र के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जावें।

7. उक्त अभ्यर्थिया को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।

8. अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटचरित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

9. विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे।

10. उक्त अभ्यर्थिया को दिनांक 12.03.2018 तक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र **क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.05** में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

12. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमो एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश एवं शर्तो के अध्यधीन है।

13. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

---

14. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन श्रेणी मे चयनित है उन्हे अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्ता श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरूद्व किया गया है उन्हे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुनर्विवाह नही किया है।

16. नवचयनित अभ्यर्थियो से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का

(iv) अभ्यर्थिया को राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(v) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(vi) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नहीं करावें।

(vii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(viii) आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थिया से संबंधित मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों आदि को प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.03.2018 को विशेष वाहक को निदेशालय में भिजवावें।

10. संबंधित केस अधिकारी प्रभारी एवं समन्वयक।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजो के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
13. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर